फाइल नं0-71-3002(002)/2/2022-03

69/2024/I/543915/2024

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 19 अप्रैल, 2024**

विषय-: वित्तीय वर्ष 2024-25 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर परिसर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र एवं 11/0.433 11 के0वी0एल0टी0 विद्युत उपकेन्द्र के उच्चीकरण हेतु आवश्यक सिविल एवं विद्युतयांत्रिक/ कार्यों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर के पत्र संख्या–हरोस/2023-24/7612, दिनांक 04.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर परिसर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र एवं 11/0.433 11 के0वी0एल0टी0 विद्युत उपकेन्द्र के उच्चीकरण हेतु आवश्यक सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक कार्यो हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 1046.13 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-53/2023/I/ 295502/2023-71-3002(002)/2/2022-03, दिनॉक 29.03.2023 द्वारा अवमुक्त की गई है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर परिसर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र एवं 11/0.433 11 के0वी0एल0टी0 विद्युत उपकेन्द्र के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूँजीलेखा पक्ष में 44-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इन्स्टीट्यूट में 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष **रू0 423.06 लाख (रू0 चार करोड़ तेईस लाख छः हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/निदेशक/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. महानिदेशक/निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए।
7. शासनादेश संख्या-53/2023/I/295502/2023-71-3002(002)/2/2022-03, दिनॉक 29.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. वर्तमान में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के परिप्रेक्ष्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। अतः संबंधित निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत धनराशि के व्यय से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हों।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,23,06,000 (रुपये चार करोड़ तेईस लाख छः हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 42100310544 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।